न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या :– 18/2022

उनवान

1. चरण सिंह पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
--- प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र चतुर्भुज जाति जाट
2. बच्छराज पुत्र शुभकरण जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
3. भवानीसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत,
4. दी मैनेजर स्टेट बैक ऑफ इंडिया शाखा तिहारी तहसील नसीराबाद,
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद,
6. बच्छराज पुत्र रामकरण,
7. रामराज पुत्र रामदेव,
8. करण सिंह पुत्र मांगीलाल,
9. बदाम पत्नि मांगीलाल,
10. मनराज पुत्री मांगीलाल,
11. मैना पुत्री मांगीलाल,
12. रामचन्द्र पुत्र मादू,
13. सुखचैन पुत्र मांगीलाल,
14. सुमित्रा पुत्री मांगीलाल समस्त जातिगण जाट समस्त निवासीगण तिहारी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

-- अप्रार्थीगण :– 1. जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत
2 व 3 जरियें अधिवक्ता श्री शकील अहमद
शेष अनुपस्थित, 5. जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 13.1.23

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:04:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवे[illegible]के ग्राम व पटवार मण्डल तिहारी के खसरा नम्बर 601 रकबा 0.1[illegible] 603 रकबा 0.0[illegible], 6[illegible] रकबा 0.11, 621 रकबा 0.11, 622 रकबा 0.09, 607 रकबा 0.05, 590 रकबा 0.27, [illegible] रकबा 0.25 की आराजी प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। तथा प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी भूमि[illegible] आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 4271 रकबा 0.45, 546/6554 [illegible] 1.34, 641 रकबा 0.25[illegible]

--2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

639 गै0मु0 रास्ता में से होते हुये अपने खातेदारी खेतों में प्रवेश करते है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विधमान नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम तिहारी में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 0.15, 603 रकबा 0.09, 604 रकबा 0.11, 621 रकबा 0.11, 622 रकबा 0.09, 607 रकबा 0.05, 590 रकबा 0.27, 605 रकबा 0.25 पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर खसरा नम्बर 4271 रकबा 0.45, 546/6554 रकबा 1.34, 641 रकबा 0.25, 640 रकबा 0.15 व 639 गै0मु0 रास्ता मे से प्रार्थी को 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे। उक्त अनुसार आदेश जारी कर तहसीलदार नसीराबाद को राजस्व रेकार्ड व मानचित्र में रास्ता दर्ज करने के भी आदेश पारित करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

अप्रार्थी संख्या 4 व 6 से 14 बावजुद तामीली अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 से 14 में सिवाय अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के सभी के मध्य दूरभि संधि है जो सभी अप्रार्थी संख्या 1 को क्षति पहुचाना चाहते है। प्रार्थी पक्ष की ओर से पूर्व में एक प्रार्थना पत्र भवानी सिंह व रूप सिंह ने मार्गाधिकार के लिये पेश किया था जिसे 6/22 से दर्ज कर निर्णित कर दिया है। पूर्व प्रार्थना पत्र व प्रश्नगत प्रकरण में पक्षकार व भूमि समान ही है। इसके अतिरिक्त प्रकरण संख्या 19/22 भी मार्गाधिकार के लिये पेश किया गया है। पूर्व प्रार्थना पत्र के निर्णय में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया था कि प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता दिर्घतम है। प्रार्थी लघुतम रास्ता प्राप्त कर सकते है। प्रस्तावति रास्ता जो प्रश्नगत प्रकरण में दर्शाया है वही मार्ग है जो कि पूर्व प्रार्थना पत्र में दर्शाया गया था। प्रार्थी का खेत वर्णित रास्ते पर कही भी दर्शित नही है। मौके पर प्रार्थी के खेतों मे कोई रास्ता नही है। जवाबकर्ता की भूमि को खण्डित करने के लिये, अवैध कब्जा करने व रंजिश के कारण अनेक प्रकरण मार्गाधिकार के लिये पेश किये गये है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया।

तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया। ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 601 रकबा 0.15, 603 रकबा 0.09, 604 रकबा 0.11, 621 रकबा 0.11, 622 रकबा 0.09, 607 रकबा 0.05, 590 रकबा 0.27, 605 रकबा 0.25 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 6 से 14 की खातेदारी की भूमि है तथा खसरा नम्बर 4271 रकबा 0.45, 546/6554 रकबा 1.34 641 रकबा 0.25, 640 रकबा 0.15 व 639 गै0मु0 रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। प्रार्थी का कथन है कि उनकी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु मौके व रेकार्ड में कोई रास्ता नही होने से उन्हे चाहा गया मार्ग उपलब्ध कराया जावे। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रार्थी की आराजी पर आवागमन हेतु 2 मार्ग दिखाये गये है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग रास्ता नम्बर 1 के रूप में अंकित है। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त मार्ग 40 वर्षो से उपयोग में लिया जा रहा है। उक्त रास्ता तालाब की मोरी के साथ–साथ है। मोरी के दूसरी ओर कुछ भूमियों की किस्म नहरी है जिनकी सिंचांई हेतु मोरी खोलने हेतु इस रास्ते का उपयोग किया [illegible] के वर्किंग नक्शे में डोट लाईन से दर्शाया गया है। ग्राम की आबादी से चा[illegible]रा नम्बर का रास्ता पैदल जाने वालो के लिये सीधा व निर्बाध है। मौका [illegible] प्रथम रास्ते से दीर्घ बताया गया है। आराजी मुतनाजा पर [illegible]रस्ता उपलब्ध नही होना बताया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:04:10 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग छोटा, सुलभ व आसान है। अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि उक्त आराजी बाबत पूर्व में भी प्रार्थना पत्र पेश किया है किन्तु पूर्व प्रकरण में प्रार्थी अलग है तथा प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी अलग है। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ते का उपयोग 40 वर्षो से किया जा रहा है। प्रार्थी के पास आवागमन हेतु कोई अन्य मार्ग उपलब्ध नही है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने उनकी भूमि में से रास्ता दिये जाने की सहमती दी है। अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब से प्रार्थिना पत्र के कथनों का खण्डन नही होता है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र के तथ्यों की ताईद होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु लघुत्तम रेकार्डेड मार्ग उपलब्ध कराने की है। अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम तिहारी के खसरा नम्बर 4271 रकबा 0.2121, 4272 रकबा 0.0110, 546/6554 रकबा 0.2120, 640 रकबा 0.0457, 639 रकबा 0.01 भूमि गै0 मु0 रास्ता (सिवायचक खाते में) दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद खसरा नम्बर 4272 की आराजी के बदले 5980/ अक्षरे पांच हजार नो सौ अस्सी रूपये राजकोष में जमा करवा कर व खसरा नम्बर 4271 व 546/6554 की आराजी के बदले 230551/ अक्षरे दो लाख तीस हजार पांच सौ इकयावन रूपये अप्रार्थी संख्या 1, खसरा नम्बर 640 की आराजी के बदले 24844/ अक्षरे चौबीस हजार आठ सौ चवालीस रूपये अप्रार्थी संख्या 2 व खसरा नम्बर 639 के बदले 5436 अक्षरे पांच हजार चार सौ छतीस रूपये अप्रार्थी संख्या 3 को को भुगतान के बाद गै0मु0रास्ते का इन्द्राज राजस्व अभिलेख के सिवायचक खाते में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। उक्त समस्त रास्ते की चौडाई 30 फिट रखी जावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:04:10 IST
Reason: SelfAttested